

७) पूर्व आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 15/7/19 का प्रस्तुत है


15/7/19

पत्रावली सहित वकील अपीलांत उपर  
रेसपोडेण्ड सं-12 स्वयं उपर। ऊंच रेसपोडेण्ड  
को रू. रजि. नोटिस प्राप्त हो चुके  
हैं कोर्ट की परामर्श उपर नहीं आया। राग  
पंचायत का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है  
वहां सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। पत्रावली के अवलोकन से  
पता कि मृतक तुलधराम के अपीलांत

व्या



एवं रेसपोर्ट संख्या 1 ता 23 प्रथम श्रेणी के आपण वारिस वाकर जो दस्तावेज प्राप्त किए हैं इनकी पुनः जांच की जाती न्यायोचित तरीके होती है। इसके ताम पंचायत स्थित इतकाल संख्या-356 दिनांक 21/5 के द्वारा तुलदराम के वारिसों के रूप में केवल रेसपोर्ट सं-01 का नाम ही किया गया है। इतकाल संख्या-356 दिनांक 21/5 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। एवं प्रमाण तहकीलदा अनूपगढ़ को इस निर्देश के अन्तर्गत किया जाता है कि अपीलार्थ एवं रेसपोर्ट संख्या-1 ता 23 को सुनवाई का अन्ततः खतान करते हुए मूलक तुलदराम के सभी वारिसों की जांच का नियमानुसार पुनः विरातन इतकाल ही करें। पत्रावली नियमानुसार वाकिल दस्त है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अनूपगढ़